तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./2006/1976/सवाई माधोपुर सरकार बनाम भोरया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित :–

श्री अशोक मेघवंशी, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी।

श्री शशिकान्त जोशी, अभिभाषक अप्रार्थी।

निर्णय

दिनांक 23–3–2022

हस्तगत रेफरेंस धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर द्वारा अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 30–1–2006 से राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं भूमिधारी तहसीलदार, खण्डार ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के समक्ष अप्रार्थीगण के विरूद्ध रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 के अनुसार ग्राम बहरावंडाखुर्द तहसील खण्डार में विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 322 रकबा 18 बिस्वा गैर मुमकिन नली दर्ज रिकार्ड थी। आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त खसरा नंबर 322 में से 5 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया जिसकी पालना में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 491 दिनांक 25–7–76 व खातेदारी का 1456 दिनांक 18–12–2001 व विरासत का नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 19–10–77 स्वीकृत किया गया । वर्तमान जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 में आराजी खसरा नंबर 322 रकबा 0.05 बिस्वा बारानी –3 भूमि पर अप्रार्थी भोरया पुत्र उॅकार जाट सा देह खातेदार दर्ज है। इस प्रकार जिस भूमि की किस्म नली है पर खातेदारी दर्ज कर दी गई है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। राजस्थान

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./2006/1976/सवाई माधोपुर सरकार बनाम भोरया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड में दर्ज झील, तालाब, नदी नाले, ताल, जलाशयों आदि की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है । इसलिए अप्रार्थी के पक्ष में दर्ज इन्द्राज अवैध एवं प्रभाव शून्य होने से निरस्त किए जाने योग्य है। उक्त इन्द्राज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्याः 1536/03 उनवान 'अब्दुल रहमान बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 2–8–2004 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है। अतः उक्त भूमि की दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड के अनुसार पुनः बहाल करते हुए रेफरेंस स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। 3– विद्वान योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अनुसार समस्त नदी, नाले, झीले और तालाब जैरआब की भूमि राज्य सरकार के स्वामित्व की है, जिन पर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते हैं । अतः रेफरेंस को स्वीकार किया जावे। 4– विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में तर्क दिया कि मौके पर कोई गैर मुमकिन नाला नहीं है । आवंटन के समय भूमि की किस्म गैर मुमकिन नाला नहीं थी । किस्म परिवर्तन कर आवंटन किया गया है। इसलिए उक्त प्रकरण रेफरेन्स योग्य नहीं होने से रेफरेन्स खारिज किया जावे । 4– हमनें उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। 5– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जमाबन्दी संवत 2032 से 2035 के अनुसार ग्राम बहरावंडाखुर्द तहसील खण्डार में विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 322 रकबा 18 बिस्वा गैर मुमकिन नली दर्ज रिकार्ड थी। आवंटन अधिकारी द्वारा उक्त खसरा नंबर 322 में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./2006/1976/सवाई माधोपुर सरकार बनाम भोरया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से 5 बिस्वा का आवंटन अप्रार्थी के पक्ष में कर दिया जिसकी पालना में गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 491 दिनांक 25–7–76 व खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 1456 दिनांक 18–12–2001 व विरासत का नामान्तरकरण संख्या 530 दिनांक 19–10–77 स्वीकृत किया गया । वर्तमान जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 में आराजी खसरा नंबर 322 रकबा 0.05 बिस्वा बारानी –3 भूमि अप्रार्थी भोरया पुत्र उॅकार जाट सा देह खातेदार दर्ज है।उक्त भूमि नाला की है जो जलप्रवाह के काम आती है। ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16(2) के तहत् नियमन/आवंटन से प्रतिबंधित है तथा किसी व्यक्ति की गैर खातेदारी/खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार है – **16 Land on which khatedari rights shall not accrue – Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accure in-** **(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank.** उक्त प्रावधानों के विपरीत गैर मुमकिन जैरआब की भूमि बिला लगानी दर्ज कर जरिए आवंटन/नियमन अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया गया, वह विधिसम्मत नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित रिट याचिका संख्याः 1536/03 उनवान 'अब्दुल रहमान बनाम सरकार' में पारित निर्णय दिनांक 02–8–2004 में प्रतिपादित व्यवस्थाओं के विपरीत है। चूॅकि यह युक्तियुक्त रूप से प्रमाणित है कि विवादित आराजियात भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत राज्य सरकार के स्वामित्व की भूमि है एवं उक्त भूमि का आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत वर्जित श्रेणी में आने के कारण	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./2006/1976/सवाई माधोपुर सरकार बनाम भोरया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (ii) निम्न प्रकार है –

" 4 Land not available for allotment under these rules- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purpose under these rules, namely-

(ii) Land mentioned in the Section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955"

उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नदी/नाला/तालाब की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन योग्य नहीं माना है। इस प्रकार नाला नदी, तालाब की भूमि न तो आवंटन योग्य है और न ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है । इस न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लोकहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी श्री अब्दुल रहमान बनाम राज्य शासन निर्णय दिनांक 2/8/2004 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस प्रकरण में निम्न अभिमत प्रकट किया हैः–

> **All land shown as drainage channels like nalla, rivers, tributaries etc. as on 15.8.1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15.8.1947 should be declared illegal. The relevant act and rules must be amended accordingly.**
>
> **----In the Government owned lakes and other water bodies, the Khatedari rights of private persons in their submergence area should be brought under the ownership of the Government. "**

यह न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के प्रकाश में इस रेफरेंस प्रकरण का निर्णय करना उचित समझता है। इस प्रकरण में भी प्रश्नगत भूमि की किस्म नली थी तथा विधि विरूद्ध तरीके से प्रश्नगत भूमि को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेंस/एल.आर./2006/1976/सवाई माधोपुर सरकार बनाम भोरया	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अप्रार्थी को आवंटन करते हुए खातेदारी में दर्ज किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रभाव से ऐसी भूमि पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। इस प्रकार अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेखों में किये गये इन्द्राजों की समस्त कार्यवाही विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी है। 6— उक्त विवेचन के परिणामस्वरुप यह रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बहरावंडाखुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर में स्थित हाल खसरा नंबर 322 रकबा 0.05 बिस्वा किस्म नाला की भूमि अप्रार्थी को आवंटन की गयी है, उक्त आवंटन को खसरा नंबर 322 रकबा 0.05 बिस्वा की सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप खोले गए समस्त नामान्तरकरण संख्या 491, 1456, 530 भी निरस्त किये जाते हैं। राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि किस्म नली पुनः दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)** **सदस्य**	